न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
74 / 2024	25 / 11 / 2024	21 / 2 / 2025

1. श्रीमति विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादिया

बनाम

1. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान

1/1 जोधराज पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल

1/2– रामदयाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल

1/3– मनोहरं बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल

1/4– संतोष बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जातियान बैरवा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2. कैला बाई पत्नि रामनारायण
3. छीता बाई पुत्री रामनारायण
4. जानकी लाल पुत्र रामनारायण
5. रामकुंवार पुत्र रामनारायण
6. रामस्वरूप पुत्र दल्ला जातियान बैरवा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188</u>

संक्षेप में विवरण यह है कि दुर्जनपुरा पटवार मण्डल दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के मुताबिक खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर, तथा खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा न. 908 रकबा 1.37 हैक्टेयर कृषि आराजी मे प्रतिवादीकम 1 कान्हा पुत्र गोपाल का 1/2 हिस्सा निहित है। प्रतिवादीकम 1 कान्हा पुत्र गोपाल ने दिनांक 25/05/2018 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा न0 908 रकबा 1.37 हेक्टेयर में निहित अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज को बैचान कर दिया था उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से नामान्तकरण संख्या 1352 दिनांक 20/11/2018 से खसरा संख्या 908 रकबा 1.37 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से पर वादिया विमलेश पत्नि भीमराज का नाम खाता राजस्व रिकोर्ड दर्ज किया गया। यह कि ग्राम दुर्जनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज नामान्तकरण संख्या 1017 से खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर पर कान्हा पुत्र गोपाल के 1/2 हिस्से के स्थान पर 53/185 वा हिस्सा दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी रामस्वरूप व अन्य व्यक्ति रामप्रसाद पुत्रान दल्ला का 40/185 हिस्सा दर्ज किया गया इस प्रकार ग्राम दुर्जनपुरा की खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर मे कान्हा पुत्र गोपाल का 53/185 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड दर्ज था। यह कि प्रतिवादी कम 1 कान्हा पुत्र गोपाल ने खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर कृषि आराजी में निहित अपने 53/185 हिस्से मे से 35/185 अर्थात 7/37 हिस्सा (0.35 हैक्टेयर) हिस्सा कालांतर मे अन्य व्यक्ति को बैचान कर दिया था। अब उक्त कृषि आराजी 53/185 हिस्से मे से 35/185 अर्थात 7/37 हिस्सा बैचान करने पर खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर कृषि आराजी मे प्रतिवादी कान्हा पुत्र गोपाल का 18/185 वॉ हिस्सा शेष रहा। यह कि दिनांक 10/01/2020 को प्रतिवादीकम 1 कान्हा पुत्र गोपाल ने खसरा न0 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर कृषि आराजी में निहित

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

अपना शेष 18/135 वा हिस्सा कृषि आराजी तथा खसरा संख्या 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि आराजी में निहित अपने 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण कृषि आराजी को कीमत 4,90,000/ रूपये मे वादिया विमलेश पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को बैचान कर बैचान की गई सम्पूर्ण वर्णित आराजीयात पर वादियो को कब्जा काश्त संभला दिया तब से ही वादिया वर्णित आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। यह कि राजस्व विभाग द्वारा कालान्तरण मे नवीन जमाबन्दी बनाते समय खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर का पृथक से खाता बनाकर नवीन जमाबन्दी कायम की गई जिसका वर्तमान खाता संख्या 88 पुराना 14 खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर जिसमे प्रतिवादी कम 1 कान्हा पुत्र गोपाल का 7/74 हिस्सा (0.175) हैक्टेयर दर्शाया गया जो वादिया द्वारा कय किये गये रकबा की तुलना में कम है। लेकिन वादिया कमी रकबा पर कान्हा पुत्र गोपाल के हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवाने पर सहमत है। यह कि इसी प्रकार खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर का राजस्व विभाग द्वारा नवीन जमाबन्दी बनाते समय पृथक से खाता व जमाबन्दी बनाया गया जिसका नवीन खाता संख्या 17 पुराना 14 खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर बनाया गया। यह कि वादिया क्रेता विमलेश बाई ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण वादिया द्वारा कय की गई वर्णित आराजी पर आज तक वादिया का नाम कान्हा पुत्र गोपाल के स्थान पर दर्ज नही होने से खसरा न0 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से पर विक्रेता कान्हा पुत्र गोपाल के फौत हो जाने के बाद उसके वारिसान 1/1 से लगायत 1/4 द्वारा मृतक कान्हा पुत्र गोपाल के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवा लिया।

जबकि प्रतिवादी कम 1/1 से लगायत 1/4 को यह जानकारी थी कि उनके पिता विक्रेता मृतक कान्हा पुत्र गोपाल द्वारा खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर व खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर में निहित उनका सम्पूर्ण हिस्सा वादिया केता विमलेश बाई को बैचान कर दिया था। लेकिन प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 के मन मे बदनियति आ जाने से व जमीन को हडपने की नियत से मृतक कान्हा के स्थान पर अपना अपना नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवा लिया जिसका प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 को कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नही है क्योकि प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 के पिता द्वारा मृतक कान्हा पुत्र गोपाल द्वारा अपने जीवनकाल मे ही रजिस्टर्ड विक्रय से अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी को वादिया क्रेता विमलेश बाई को बैचान करने पर वादिया को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि माननीय न्यायालय की सहायता से ग्राम दुर्जनपुरा में स्थित कृषि आराजी खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर मे दर्ज मृतक कान्हा पुत्र गोपाल के हिस्सा 7/74 को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर वादिया स्वंय का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाये। यह कि इसी प्रकार ग्राम दुर्जनपुरा में स्थित खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर कृषि आराजी के राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज प्रतिवादी कम 1/1 से लगायत 1/4 का नाम विलोपित करवाकर उनके स्थान पर माननीय न्यायालय की सहायता से वादिया स्वंय का नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। यह कि प्रतिवादी कम 2 ता 6 के विरूद्ध वाद पत्र मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है सयुंक्त खातेदार होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रतिवादी कम 1/1 से लगायत 1/4 द्वारा नामान्तकरण संख्या 1955 दिनांक 01/10/2024 से खसरा संख्या 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर मे मृतक कान्हा पुत्र गोपाल के हिस्से वाली कृषि आराजी पर बिना अधिकारिता के अपना नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने व अवैध तरीके से खाते मे नाम आने पर वर्णित आराजी को खुर्द बुर्द, कर अन्यत्र बैचान करने की धमकी देने से वाद कारण दिनांक 01/11/2024 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

ग्राम दुर्जनपुरा पटवार दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि आराजी खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर के राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण 1/1 से लगायत 1/4 (जोधराज पुत्र कान्हा, रामदयाल पुत्र कान्हा,

Ramniwas
सहायक अधिवक्ता
इटावा जि० कोटा (राज०)

मनोहर बाई पुत्री कान्हा संतोष बाई पुत्री कान्हा) का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया जाकर उनके 1/2 हिस्से वाली कृषि आराजी पर वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे।
ग्राम दुर्जनपुरा पटवार दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि आराजी खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी क्रम 1 कान्हा पुत्र गोपाल जाति बैरवा का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया जाकर उसके 7/74 (0.175 हैक्टेयर) हिस्से की वाली कृषि आराजी पर वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे।
प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादिया के खाते कब्जे काश्त मे बाधा व्यवधान आदि न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधिगण से करवाये।

वाद वादी की ओर से श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1/1 ता 1/4 की ओर से लेखराज धाकड़ एड0 ने वकालतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीकम 2 ता 6 की तलबी जर्ये रजि0 ए0डी से की गई। आवाज लगवाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीकम 2 ता 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीकम 1/1 ता 1/4 का इकबाली जवाब पेश हुआ। शामिल पत्रावली है। साक्ष्यवादी शपथ पी0डब्ल्यू व साक्ष्यप्रतिवादी शपथ पत्र डी0डब्ल्यू 1 व डी0डब्ल्यू 2 पेश किए। शामिल पत्रावली है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के गहनता से अवलोकन उपरान्त वादीया का वाद स्वीकार योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 7 को आदेश दिया जाता है कि वाके माल ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हलका दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि आराजी खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर के राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण 1/1 से लगायत 1/4 (जोधराज पुत्र कान्हा 1/8हिस्सा, रामदयाल पुत्र कान्हा 1/8हिस्सा, मनोहर बाई पुत्री कान्हा 1/8हिस्सा संतोष बाई पुत्री कान्हा 1/8हिस्सा) का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया जाकर उनके 1/2 हिस्से वाली कृषि आराजी पर वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे एवं ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हलका दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि आराजी खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी कम 1 कान्हा पुत्र गोपाल जाति बैरवा का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया जाकर उसके 7/74 हिस्से वाली कृषि आराजी पर वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वादिया के खाते कब्जे काश्त मे बाधा व्यवधान आदि न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधिगण से करवाये।
तदनुसार डिकी जारी हो।
निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21/2/25 पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जिला (कोटा)

न्यायालय सहाकय कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
74 / 2024	25 / 11 / 2024	21 / 2 / 2025

1. श्रीमति विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादिया

बनाम

1. कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मृतक के कायम मुकामान

1/1 जोधराज पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल

1/2 रामदयाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल

1/3 मनोहरं बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल

1/4 संतोष बाई पुत्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जातियान बैरवा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

2. कैला बाई पत्नि रामनारायण
3. छीता बाई पुत्री रामनारायण
4. जानकी लाल पुत्र रामनारायण
5. रामकुंवार पुत्र रामनारायण
6. रामस्वरूप पुत्र दल्ला जातियान बैरवा निवासीगण दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

(प्रतिवादीगण)

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 188

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम दुर्जनपुरा पटवार पटवार दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि आराजी खसरा न. 988 रकबा 1.15 हैक्टेयर के राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज प्रतिवादीगण 1/1 से लगायत 1/4 (जोधराज पुत्र कान्हा 1/8हिस्सा, रामदयाल पुत्र कान्हा 1/8हिस्सा, मनोहर बाई पुत्री कान्हा 1/8हिस्सा संतोष बाई पुत्री कान्हा 1/8हिस्सा) का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया जाकर उनके 1/2 हिस्से वाली कृषि आराजी पर वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे एवं ग्राम दुर्जनपुरा पटवार हलका दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि आराजी खसरा न. 766 रकबा 1.85 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी कम 1 कान्हा पुत्र गोपाल जाति बैरवा का नाम राजस्व रिकोर्ड से विलोपित किया जाकर उसके 7/74 हिस्से वाली कृषि आराजी पर वादिया विमलेश बाई पत्नि भीमराज जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

जावे कि वादिया के खाते कब्जे काश्त मे बाधा व्यवधान आदि न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधिगण से करवाये।तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21/2/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
इटावा(जिला कोटा)